राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......768/2012 एवं 769/2012..............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स वर्दवार टी एण्ड टिम्बर कम्पनी लि., एस–5, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–पथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/2017	**खण्डपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी–व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक अलकेश शर्मा एवं प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"उपायुक्त प्रशासन"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए मांग राशि कायम की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसाई द्वारा उपायुक्त प्रशासन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपायुक्त प्रशासन ने अपीलार्थी व्यवहारी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जिसे इस अपील में विवादित किया है। इन दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जावे तथा उपायुक्त प्रशासन के आदेशों को अपास्त किया जावे। इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की। उभयपक्षों बहस पर मनन किया गया। अपील पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि उपायुक्त प्रशासन द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः उपायुक्त प्रशासन का आदेश अपास्त किया जाता है। लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......768/2012 एवं 769/2012..............................जिला...........जयपुर...

उनवान — मैसर्स वर्दवार टी एण्ड टिम्बर कम्पनी लि., एस–5, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–पथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/05/2017	:2: कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, अतः अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्देश दिए जाते है कि व्यवसायी समस्त रिकॉर्ड लेकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.06.2017 को उपस्थित होवे। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि रिकॉर्ड की जॉच के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित करे। प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को उपरोक्तानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	